

मैसर्स जिओ टेक फाउण्डेशन एवं कन्सट्रक्शन

बनाम

केन्द्रीय आबकारी कमिश्नर, पुणे

(सिविल अपील संख्या 5305/2005)

मार्च 7, 2008

(डॉ. अरीजित पसायत और पी. सदाशिवम. जे.जे.)

उत्पाद शुल्क के भुगतान के बिना सीमा अवधि से परे जारी किए गए शुल्क की मांग करने वाले कारण बताओ नोटिस की मंजूरी-निर्धारित मामलों के तथ्यों में परिसीमा की विस्तारित अवधि का आह्वान अस्वीकार्य है।

सिविल अपील संख्या 5305/2005, 7412/2005 और 7621/2005 में, पीएससी गर्डर्स को शुल्क के भुगतान के बिना मंजूरी दे दी गई थी। कारण बताओ नोटिस जारी कर शुल्क की मांग की गई। अपीलकर्ता निर्धारक ने तर्क दिया कि कारण बताओ नोटिस प्रासंगिक समय पर प्रचलित छह महीने की वैधानिक परिसीमा अवधि से बाधित होने की सीमा के कारण वर्जित था। वैकल्पिक रूप से यह तर्क दिया गया कि चूंकि गर्डर्स विपणन योग्य नहीं थे, इसलिए इस पर शुल्क नहीं लगाया जा सकता था। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी) ने माना कि सीमा की विस्तारित अवधि राजस्व के लिए उपलब्ध थी। विपणन योग्यता के सवाल पर, मामला CESTAT की वृहद बेंच को भेजा गया था। CESTAT की वृहद बेंच ने अपने आदेशों में, जो कि सिविल अपील संख्या 7412/2005 और 7621/2005 का विषय है, में निर्धारित किया कि ये वस्तुएं उत्पाद शुल्क के अधीन थीं क्योंकि वे ऐसी वस्तुएं हैं

जो इमारतों के निर्माण के लिए साइट पर निर्मित नहीं की जाती हैं।

सिविल अपील संख्या 1330/2008, 2383/2006 और 2385/जी 2006 भी दायर की गईं, जिनमें यही मुद्दा था।

इस अदालत में अपील में, अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि लार्सन एंड टर्बो के मामले में इस अदालत ने माना था कि चूंकि इस बात पर सदभाविक संदेह था कि क्या गतिविधियां विनिर्माण के लिए थीं या नहीं, यह एक बहस का मुद्दा था और सवालों के जवाब अलग-अलग बेंचों द्वारा अलग-अलग दिए गए थे। इसलिए, परिसीमा की विस्तारित अवधि लागू नहीं होती है।

न्यायालय ने सिविल अपील संख्या 5305 / 2005, 7412/2005 और 7621/2005 को स्वीकार करते हुए सिविल अपील संख्या 1330/2008, 2383/2006 और 2385/2006 को खारिज किया।

न्यायालय ने निर्धारित किया कि-

1.1 सिविल अपील संख्या 5305/2005 में जब पहला कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, तो सीमा की विस्तारित अवधि का सहारा नहीं लिया गया था। एक नोटिस आम तौर पर छह महीने की अवधि के भीतर जारी किया जाना चाहिए (जैसा कि उस समय कानून था) यानी सीमा की निर्धारित अवधि के भीतर, लेकिन केवल असाधारण मामलों में, उक्त अवधि को एक वर्ष या पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है, जैसा भी मामला हो. जब मूल नोटिस में, ऐसा कोई आक्षेप नहीं लगाया गया था, तो बाद में भी ऐसा नहीं किया जा सकता था क्योंकि अपीलकर्ता द्वारा कथित तौर पर दबाए गए तथ्य उन्हें ज्ञात थे। (पैरा 10) (579-डी,ई)

पी एंड बी फार्मास्यूटिकल्स (पी) लिमिटेड वी कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज

2003 (153) ई.एल.टी. 14 (एस.सी.) पर भरोसा किया।

1.2 सदभाविकता की याचिका खारिज नहीं की गई थी। इसके विपरीत, विचारों में भिन्नता थी और इस मुद्दे का उत्तर CESTAT की विभिन्न पीठों द्वारा दिया गया था। "ऐसा होने पर, सीमा की विस्तारित अवधि को लागू नहीं किया जा सकता था। चूंकि अपीलकर्ता द्वारा कथित तौर पर छुपाए गए तथ्य विभाग को ज्ञात थे, इस मामले को ध्यान में रखते हुए धारा 11- ए केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के तहत कोई आवेदन नहीं होने से धारा 11 ए के तहत परिसीमा की विस्तारित अवधि अनुमय नहीं है।

2. सीमा की विस्तारित अवधि की अनुपलब्धता के संबंध में निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, विपणन योग्यता और/या उत्पाद शुल्क योग्यता के प्रश्न पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मामला अकादमिक है।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 5305/2005

अपील संख्या E/3048/98, W286, 287/WZB /2005/CII में सीमा शुल्क शुल्क और सेवा कर अपीलीय ट्रलब्यूनल, पश्चिम क्षेत्रीय बेंच, मुंबई के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 11.03.2005 से।

के साथ

2006 की सिविल अपील संख्या 2383 और 2385: 2005 की 7412 और 7621 और 2008 की 1330/2008

जोसेफ वेल्लापल्ली, पी. विश्वनाथ शेट्टी और पी. एच. पारेख, रोमी चाको, अर्पित गुप्ता, रश्मी मल्होत्रा, बी. कृष्णा प्रसाद, एम.पी विनोद, अजय के. जैन, विमलेश कुमार,

पी. परमेश्वरन उपस्थित पक्षों के लिए।

अतुल वाई. चितले, सुननिना दत्ता सुचित्रा अतुल चितले, एल.पी. धीर, मनीषा धीर, एन. कीर्ति सिंह, कीर्ति सिंह, प्रणब कुमार मलिक और अजय कुमार झा (मैसर्स पारेख ई एंड कंपनी के लिए)। उपस्थित पक्षकार।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पसायत, जे. द्वारा पारित किया गया।

सिविल अपील संख्या 5305/2005, 7412 और 7621/2005-

1. ये अपीलें सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, मुंबई सेंट्रल (संक्षेप में 'सीईएसटीएटी') के अलग-अलग निर्णयों के खिलाफ निर्देशित हैं। तथ्यात्मक पृष्ठभूमि को संक्षेप में नोट करने की आवश्यकता है।

2. 2005 की सिविल अपील संख्या 5305 के संबंध में तथ्यात्मक परिदृश्य नोट किया गया है। लेकिन कानूनी मुद्दों पर निष्कर्ष अन्य अपीलों को कवर करेंगे।

3. अपीलकर्ता उपयोग की जाने वाली साइट पर पीएससी गर्डर्स का निर्माण करता कोंकण रेलवे के लिए रेलवे ब्रिज के निर्माण में। इसमें शामिल अवधि जून 1994 से फरवरी 1995 है। इन वस्तुओं को केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत केंद्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान के बिना मंजूरी दे दी गई थी। 8.5.1996 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और अपीलकर्ता को यह बताने के लिए कहा गया था कि उससे शुल्क राशि 53,91.498 /- रुपये की मांग क्यों नहीं की जानी चाहिए, गर्डरों को शुल्क के भुगतान के बिना मंजूरी दे दी गई थी, वे क्यों को जब्त नहीं किया जाना चाहिए तथा संबंधित व्यक्ति पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए।

4. कमिश्नर ने शुल्क की मांग करते हुए और पुल पर रखे जाने के लिए हटाए गए गर्डरों को अभिग्रहित करने की मांग करते हुए मामले का फैसला सुनाया और जुर्माना लगाया।

5. सीईएसटीएटी के समक्ष अपीलकर्ता का आधार यह था कि कारण बताओ नोटिस को परिसीमा बाधित था, क्योंकि यह प्रासंगिक समय पर प्रदान की गई 6 महीने की वैधानिक अवधि से परे जारी किया गया था। आगे। विभाग को इस तथ्य की जानकारी थी कि अपीलकर्ता ने 1994 में ही पीएससी गर्डर का निर्माण किया था। कारण बताओ नोटिस 1996 में यानी सीमा अवधि के बाद जारी किया गया था। आगे यह भी कहा गया कि गुणावगुण के आधार पर भी शुल्क मांगने की कोई गुंजाइश नहीं है। विकल्प में, यह दलील दी गई कि पीएससी गर्डर्स की कोई विपणन क्षमता नहीं थी और चूंकि गर्डर्स विपणन योग्य नहीं हैं, इसलिए, अधिनियम के तहत कोई अतिरिक्त शुल्क लगाने का सवाल ही नहीं उठता।

6. CESTAT ने माना कि परिसीमा अवधि उपलब्ध थी । विपणन योग्यता के प्रश्न पर मामला CESTAT की एक वृहद पीठ को भेजा गया था।

7. सी.ए. में क्रमांक 7412/2005 और 7621/2005, जिसमें CESTAT के अंतिम आदेश को चुनौती दी गई थी, में वृहद पीठ ने माना कि अधिसूचना संख्या 59/90-CE का लाभ पीएससी गर्डरों तक नहीं बढ़ाया जा सकता क्योंकि वे सामान हैं जिनका निर्माण भवन निर्माण स्थल पर नहीं किया जाता है। इसलिए, वस्तुओं को उत्पाद शुल्क के अधीन माना गया।

8. अपील के समर्थन में, अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री जोसेफ वेल्लापल्ली ने प्रस्तुत किया कि निर्माण के प्रश्न पर CESTAT द्वारा दो अपीलों का निर्णय किया गया था। एक- वर्तमान अपीलकर्ताओं के लिए और दूसरा मैसर्स एशियन

टेक लिमिटेड के लिए मेसर्स एशियन टेक लिमिटेड के फैसले की शुद्धता पर लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, पुणे (2007 (211) ई.एल.टी. 513 (एससी) मामले में इस न्यायालय द्वारा विचार किया गया था। इस न्यायालय ने माना कि चूँकि इस बात पर संदेह था कि क्या गतिविधियाँ विनिर्माण के लिए की गईं या नहीं, यह एक बहस का मुद्दा था और सवालों का जवाब अलग-अलग बेंचों द्वारा अलग-अलग दिया गया था और इसलिए परिसीमा की विस्तारित अवधि अधिनियम की धारा 11 - ए के संदर्भ में लागू नहीं किया जा सकता है।

9. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वर्तमान मामले के तथ्य। पहले नोटिस जारी किया गया था जिसे वापस ले लिया गया और दूसरा नोटिस 2000 के अधिनियम 10 द्वारा संशोधन से पहले 8.5.1996 को जारी किया गया था। 12.5.2000 को सीमा की विस्तारित अवधि एक वर्ष थी। 2000 के संशोधन के बाद यह अवधि 5 वर्ष हो गयी।

10. यह स्वीकृत है कि जब पहला कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। परिसीमा की विस्तारित अवधि का सहारा नहीं लिया गया, नोटिस आमतौर पर छह महीने की अवधि के साथ जारी किया जाना चाहिए (जैसा कि उस समय कानून था) यानी परिसीमा की निर्धारित अवधि के साथ, लेकिन केवल असाधारण मामलों में, उक्त अवधि को बढ़ाया जा सकता था। एक वर्ष या पाँच वर्ष तक, जैसा भी मामला हो । जब पहली सूचना में ऐसा कोई आक्षेप नहीं लगाया गया था, तो हमारी राय है कि बाद में ऐसा नहीं किया जा सकता था क्योंकि अपीलकर्ता द्वारा कथित तौर पर दबाए गए तथ्य उन्हें ज्ञात थे।

11. पी एंड बी फार्मास्यूटिकल्स (पी) लिमिटेड बनाम सेंट्रल एक्साइज कलेक्टर (2003 (153) ई.एल.टी. 14 (एस.सी.) मामले में न्यायालय ने निम्नानुसार निर्धारित

किया।

"19 हालांकि, श्री जयदीप गुप्ता का कहना है कि अधिकरण ने यह स्वीकार नहीं किया कि यहां करदाता के पक्ष में आय का निर्धारण दिया गया है। हम विद्वान वकील के तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। आदेश का सार "करदाता ने प्रस्तुत किया था कुछ दस्तावेज़ जैसे पंजीकरण फॉर्म ट्रेड मार्क अधिकारी उन्हें ट्रेड मार्क सौंपते हैं, लेकिन तथ्य यह है कि ट्रेड मार्क के कथित हस्तांतरण के काफी समय बाद उसी लोगो वाले मेसर्स पी एंड बी लेबोरेटरीज द्वारा निर्मित वस्तुओं को जब्त करने के भौतिक साक्ष्य मौजूद थे। जो मेसर्स पी एण्ड बी प्रयोगशाला से बनाये गये और समान लोगो लगाया था। ट्रेड मार्क के आक्षेप के बावजूद भी अपीलकर्ताओं ने खुलासा किया कि ट्रिब्यूनल ने स्वीकार किया कि एक असाइनमेंट हुआ लेकिन इससे निपटने के लिए आगे अधिसूचना के तहत छूट की अनुपयुक्तता का मामला इस आधार पर कि लोगो का उपयोग मेसर्स पी एंड बी लेबोरेटरीज द्वारा भी किया जा रहा से था। हमने पहले ही ऊपर संकेत दिया है कि अधिसूचना के पैरा 7 के आधार पर छूट इनकार करने के प्रयोजनों के लिए तीसरे पक्ष द्वारा निर्माता के लोगो का उपयोग अलग है। मामले के इस दृष्टिकोण में, हम निर्धारिती को छूट से इनकार करने वाले ट्रिब्यूनल के आदेश को बरकरार रखने में असमर्थ हैं।

20. किसी भी घटना में, यह आधार कि निर्धारिती ने इस तथ्य को छुपाया है कि मेसर्स पी एंड बी लेबोरेटरीज भी अधिसूचना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए लोगो का उपयोग कर रही थी, अधिनियम की धारा 11 ए के प्रावधान को लागू करने का एक वैध कारण नहीं हो सकता है। लोगो के

मालिक पर यह पता लगाने के लिए कि क्या कोई अन्य व्यक्ति भी उसके लोगो का उपयोग कर रहा है या नहीं और प्रावधानों को लागू करने के प्रयोजनों के लिए तथ्य को दबाने के संभावित आरोप को रोकने के लिए अधिकारियों के सामने इसका खुलासा करने का कोई दायित्व नहीं है।"

12. एक और पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अपीलकर्ता और साथ ही कोंकण रेलवे ने प्रामाणिकता की एक निश्चित दलील दी। ऐसी याचिका खारिज नहीं की गई थी. इसके विपरीत, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विचारों में भिन्नता थी और मुद्दे एफ का उत्तर सीईएसटीएटी की विभिन्न पीठों द्वारा दिया गया था। ऐसा होने पर, सीमा की विस्तारित अवधि को लागू नहीं किया जा सकता था। चूंकि अपीलकर्ता द्वारा कथित तौर पर छुपाए गए तथ्य विभाग को ज्ञात थे, इस मामले को ध्यान में रखते हुए धारा 11-ए के तहत सीमा की विस्तारित अवधि को लागू नहीं किया जा सकता था। अधिनियम का कोई नहीं है। धारा 11 - ए का आह्वान अस्वीकार्य था, और इसलिए, सीईएसटीएटी के आदेश को अपास्त किया जाता है जो 2005 की सिविल अपील संख्या 5305 में चुनौती का विषय है। अपील स्वीकार की जाती है।

13. 2005 के सी.ए.5305 के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए विपणन योग्यता और/या उत्पाद शुल्क के प्रश्न पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मामला अकादमिक है.

संबंधित सिविल अपील संख्या 5305/2005, सिविल अपील संख्या 7412/2005 और 7621/2005 में भी स्वीकार की जाती है।

सिविल अपील 1330/2008-

14. जो कारण बताओ नोटिस 30.5.1996 को जारी किया गया था। जिसे देखते

हुए सी. ए. 5305/2005 निर्धारित की गयी। उसी परिसीमा के आधार पर अपील खारिज किये जाने योग्य है।

सिविल अपील क्रमांक 2383/2006-

15. जिसमें विवाद अप्रैल 1993 से जुलाई 1993 से जुलाई 1994 तक की अवधि से संबंधित है। उसके मद्देनजर केवल परिसीमा के आधार पर खारिज करने योग्य है जिसमें 08.05.1996 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। आज निर्णित सी.ए.सं. 5305/2005 की गयी।

सिविल अपील संख्या 2385/2006-

16. इसमें शामिल अवधि नवंबर, 1993 से दिसंबर, 1994 है और कारण बताओ नोटिस 3.12.1996 को जारी किया गया था। उसे ध्यान में रखते हुए सीए नं. 5305/2005 पर आज निर्णय हुआ, यह अपील खारिज किये जाने योग्य है।

उक्तानुसार निर्देश है कि के.के.टी. सीए क्रमांक 5305/2005, 7412/2005, 7621/2005 की अनुमति है और सी.ए. क्रमांक 1330/2008, 2383/2006, 2385/2006 खारिज की जानी चाहिए, जिसे हम निर्देशित करते हैं।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी कृष्णा राकेश कांवत (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।